वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग–4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता, परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कोरबा द्वारा कोरबा जिले के कोरबा वन मंडल अंतर्गत 77.3041 हे. रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वन मंडल अंतर्गत 90.9718 हे. एवं जशपुर जिले के जशपुर वन मंडल अंतर्गत 0.7471 हे. वन भूमि भारतमाला परियोजना अंतर्गत उरगा–पत्थलगांव, राष्ट्रीय राजमार्ग 130 में मार्ग निर्माण के लिए वन भूमि व्यपवर्तन हेतु कुल 169.0231 हे. आरक्षित, संरक्षित, नारंगी वन भूमि एवं राजस्व वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया है।

वन मंडलवार वन भूमि का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.	वन मंडल	आरक्षित वन (हे.)	संरक्षित वन (हे.)	नारंगी वन (हे.)	राजस्व वन भूमि (हे.)	योग
1	धरमजयगढ़	26.6399	27.8631	10.4794	25.9894	90.9718
2	कोरबा	–	34.8211	34.2841	8.1990	77.3042
3	जशपुर	–	–	0.7471	–	0.7471
	योग	**26.6399**	**62.6842**	**45.5106**	**34.1884**	**169.0231**

धरमजयगढ़ वन मंडल के अंतर्गत प्रस्तावित सड़क काष्ठागार डिपो के बीच से होते हुए गूजर रहा है जिसके कारण डिपो सेक्टर बनाने की आवश्यकता होगी, वर्तमान में प्रचलित कार्य आयोजना के अनुसार विदोहन का कार्य प्रगति पर है, अतः वन मंडलाधिकारी, धरमजयगढ़ के प्रतिवेदन के अनुसार काष्ठ डिपो धरमजयगढ़ में विभिन्न निर्माण कार्यो हेतु राशि रूपये 1,41,40,355/– आवेदक संस्थान से वसूल किया जाना प्रस्तावित है एवं प्रभावित वन भूमि से सेड्यूल – 1 के वन्यप्राणियों हाथी, भालू एवं अन्य का उपस्थिति एवं आवागमन होता है। अतः वन्यप्राणी योजना प्रस्तावित करते हुए मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त द्वारा वनभूमि प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त एवं मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त के अभिमत से सहमत होते हुए भारतमाला परियोजना अंतर्गत उरगा–पत्थलगांव, राष्ट्रीय राजमार्ग 130 में मार्ग निर्माण के लिए 169.0231 हे. वन भूमि, नारंगी वन भूमि एवं राजस्व वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांकः 11/10/2023
स्थानः अरण्य भवन, नवा रायपुर

11/10/23.

(व्ही श्रीनिवास राव)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख
छत्तीसगढ़

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख छत्तीसगढ़

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर – 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाषः 0771 – 2512840 ई – मेलः apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–899/2435 रायपुर, दिनांक 17 /10/2023

प्रति,

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर
नवा रायपुर

विषयः– **कोरबा जिले के कोरबा वन मंडल, रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वन मंडल एवं जशपुर जिले के जशपुर वन मंडल अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु National Highways Authority of India द्वारा Development of Urga Pathalgaon section of NH-130 (Raipur-Dhanbad Economic Corridor) in the State of CG under Bharatmala Pariyojana, Area 169.0231 ha-reg.**
(पंजीयन कं. FP/CG/Road/122482/2021)

संदर्भः– मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर का पत्र क्रमांक/ तक / 2706 दिनांक 03.10.2023

=0=

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर द्वारा निर्धारित भाग–3 में अनुशंसा उपरांत वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। नोड़ल अधिकारी FC Act कार्यालय के परीक्षण उपरांत प्रस्ताव का चेकलिस्ट बिन्दु क्रमांकवार विवरण निम्नानुसार हैः–

बि.क्र. 1. आवेदक विभाग का मांग पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 01 से 6) – आवेदनकर्ता, परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कोरबा द्वारा कोरबा वन मंडल अंतर्गत 77.3041 हे. रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वन मंडल अंतर्गत 90.9718 हे. एवं जशपुर वन मंडल अंतर्गत 0.7471 हे. वन भूमि भारतमाला परियोजना अंतर्गत उरगा–पत्थलगांव, राष्ट्रीय राजमार्ग 130 निर्माण के लिए वन भूमि व्यपवर्तन हेतु कुल 169.0231 हे. आरक्षित, संरक्षित, नारंगी वन भूमि एवं राजस्व वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया है।

वन मंडलवार वन भूमि का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.	वन मंडल	आरक्षित वन (हे.)	संरक्षित वन (हे.)	नारंगी वन (हे.)	राजस्व वन भूमि (हे.)	योग
1	धरमजयगढ़	26.6399	27.8631	10.4794	25.9894	90.9718
2	कोरबा	–	34.8211	34.2841	8.1990	77.3042
3	जशपुर	–	–	0.7471	–	0.7471
	योग	**26.6399**	**62.6842**	**45.5106**	**34.1884**	**169.0231**

बि.क्र. 2. प्रपत्र I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) (प्रस्ताव पृष्ठ 7 से 10) – उक्त प्रकरण के लये रजिस्ट्रेशन क्रमांक – **FP/CG/Road/122482/2021** आबंटित किया गया है। आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्ताव में शासन के आदेशानुसार पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क रू. 6,000/– एवं 58,000 का डी.डी. जमा कराया गया है जिसे वनमंडल अधिकारी धरमजयगढ़ के पी.डी. खाता में दिनांक 23.08.2022 के माध्यम से जमा कराया गया है।

बि.क्र. 3. वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 11 से 20) – प्रस्तावित भारतमाला परियोजना अंतर्गत मार्ग निर्माण कार्य में निम्नानुसार वन भूमि/नारंगी वन एवं राजस्व वन भूमि प्रभावित हो रही है वन मंडलवार विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.	वन मंडल	आरक्षित वन (हे.)	संरक्षित वन (हे.)	नारंगी वन (हे.)	राजस्व वन भूमि (हे.)	योग
1	धरमजयगढ़	26.6399	27.8631	10.4794	25.9894	90.9718
2	कोरबा	—	34.8211	34.2841	8.1990	77.3042
3	जशपुर	—	—	0.7471	—	0.7471
	योग	**26.6399**	**62.6842**	**45.5106**	**34.1884**	**169.0231**

उपरोक्त वनमंडलवार मांग की गई भूमि के लिये आवेदक संस्थान द्वारा पृथक–पृथक डी.जी.पी.एस. सर्वे कार्य कराया गया है। वनमंडलवार प्रस्ताव के साथ पृथक–पृथक सर्वे रिपोर्ट संलग्न है।

बि.क्र. 4. गैर वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 21 से 23 तक) — प्रस्तावित भारतमाला परियोजना अंतर्गत मार्ग निर्माण कार्य में प्रभावित हो रहे गैर वनक्षेत्र/निजी भूमि का विवरण वन मंडलवार निम्नानुसार है:—

क्र.	वनमंडल का नाम	गैर वन क्षेत्र / निजी भूमि का रकबा (हे. में)
1	धरमजयगढ़	144.2311
2	कोरबा	125.1259
3	जशपुर	80.4840
	योग —	**349.8410**

बि.क्र. 5. प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल पर (प्रस्ताव पृष्ठ 24 से 28 तक) — प्रस्तावित वन क्षेत्र से संबंधित वन आवरण मानचित्र एफ.एम.आई.एस. द्वारा उपलब्ध कराया गया है जिसे संबंधित वन मंडलाधिकारी द्वारा सत्यापन किया गया है। मानचित्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 6. वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप (प्रस्ताव पृष्ठ 29 से 66) — प्रस्तावित वनभूमि/नारंगी वनभूमि एवं राजस्व वनभूमि के वनक्षेत्र का इण्डेक्स मानचित्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 7. प्रपत्र — 4 में प्रस्ताव (पृष्ठ 67 से 80 तक) — प्रपत्र–IV में परियोजना की प्रशासकीय लागत 2261.30 करोड़ रू. है। यूजर एजेंसी ने यह भी पुष्टि की है कि उनके द्वारा उक्त गैर वानिकी परियोजना हेतु अन्य कोई विकल्प नहीं होने के कारण वन क्षेत्र में व्यपवर्तन हेतु आवेदन किया है वन भूमि की मांग न्यूनतम एवं अपरिहार्य है। इस हेतु संबंधित प्रपत्र–IV संलग्न है।

बि.क्र. 8. प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप (पृष्ठ 81 से 97 (B)) — प्रोजेक्ट पर यूजर एजेंसी द्वारा दी गई विस्तृत टीप संलग्न है।

बि.क्र. 9. वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 98 से 100) — उक्त प्रकरण में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु बलौदाबाजार वनमंडल के अधीन समतुल्य शासकीय राजस्व भूमि में 171.4929 हे. प्रस्तावित की गई है, ग्रामवार एवं खसरावार विस्तृत विवरण प्रस्ताव में संलग्न है। इस हेतु आवेदक संस्थान द्वारा 10 वर्षीय सिंचित वृक्षारोपण योजना के अनुसार निर्धारित की जाने वाली राशि जमा करने संबंधी वचन पत्र दिया गया है जो संलग्न है।

बि.क्र. 10. न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 101 से 106) — यूजर एजेंसी द्वारा जारी किया गया न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 11. पर्यावरण संरक्षण स्वीकृत प्रमाण पत्र (पृष्ठ 107 से 110) — इस प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधिन है, आवेदक संस्थान द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 12. वृक्ष विदोहन विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 111 से 300 तक) — प्रस्तावित परियोजना अंतर्गत मार्ग निर्माण कार्य में प्रभावित हो रही 169.0231 हे. वनभूमि/नारंगी वनभूमि एवं राजस्व वनभूमि में वृक्षों का विदोहन कार्य किया जाना प्रस्तावित है। वनमंडलवार वृक्ष विदोहन का विवरण निम्नानुसार है:—

क्र.	वनमंडल का नाम	विदोहित किये जाने वाले वृक्षों की संख्या
1	धरमजयगढ़	22,214
2	कोरबा	11,276
3	जशपुर	195
	योग –	**33,685**

उपरोक्त वनमंडलों में प्रभावित हो रहे वृक्षों की वृक्ष विदोहन योजना वनमंडलवार पृथक–पृथक प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

बि.क्र. 13. कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस (प्रस्ताव पृष्ठ 301 से 324 तक) – वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत निर्धारित प्रपत्र में कास्ट बेनिफिट एनालाईसिस प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 14. – चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि/राजस्व वन क्षेत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 325 से 352 तक) – प्रकरण में मांग की गई गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि एवं राजस्व वनभूमि का वन मंडलवार विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	वनमंडल का नाम	गैर वनक्षेत्र/निजी भूमि का रकबा (हे. में)	राजस्व वनभूमि का रकबा (हे. में)
1	कोरबा	144.2311	25.9894
2	धरमजयगढ़	125.1259	8.1990
3	जशपुर	80.4840	–
	योग –	**349.8410**	**34.1884**

बि.क्र. 15. गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा (प्रस्ताव पृष्ठ 353 से 354 तक) – प्रस्तावित भारतमाला परियोजना अंतर्गत मार्ग निर्माण के लिए गैर वन क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र का नक्शा प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 16. स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना (प्रस्ताव पृष्ठ 355 से 480 तक) – आवेदक संस्थान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, कोरबा द्वारा बलौदाबाजार वनमंडल के अधीन प्रस्तावित परियोजना रकबा 169.0231 हे. के एवज में समतुल्य शासकीय राजस्व भूमि में 171.4929 हे. राजस्व भूमि 10 वर्षीय सिंचित क्षतिपूर्ति वनीकरण कार्य के लिए उपलब्ध कराये जाने का विनिश्चय किया गया है।

बि.क्र. 17. वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 481 से 482 तक) – आवेदक संस्थान द्वारा बलौदाबाजार वनमंडल के अधीन प्रस्तावित परियोजना रकबा 169.0231 हे. के एवज में समतुल्य शासकीय राजस्व भूमि में 171.4929 हे. राजस्व भूमि में क्षतिपूर्ति वनीकरण कार्य के लिए उपलब्ध कराये जाने का विनिश्चय किया गया है। इस हेतु वन मंडलाधिकारी, बलौदाबाजार द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र का उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 18. अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यो का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 483 से 485) – प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है। तदाशय का संबंधित वन मंडलाधिकारियों का प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 19. अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 486 से 488) – प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है। तदाशय का संबंधित वन मंडलाधिकारियों का प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 20. अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही (प्रस्ताव पृष्ठ 489 से 491) – प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है। तदाशय का संबंधित वन मंडलाधिकारियों का प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 21. वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 492 से 493 तक) – स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वन भूमि अनुपलब्धता बाबत मुख्य सचिव के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 22. कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 494 से 496) – आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 23. रिक्लेमेशन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 497 से 499) – प्रस्ताव खनन से संबंधित नही होने के कारण रिक्लेमेशन प्लान की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 24. माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) (प्रस्ताव पृष्ठ 500 से 502) – प्रस्ताव खनन से संबंधित नही होने के कारण माईनिंग प्लान की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 25. व्यवस्थापन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 503 से 505) – यूजर एजेंसी का कथन है कि प्रस्तावित कार्य से कोई व्यक्ति / परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है अतः व्यवस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 26. (प्रपत्र I से IV तक) (प्रस्ताव पृष्ठ 506 से 528) – वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत व्यपवर्तित होने वाली वनभूमि/नारंगी वनभूमि एवं राजस्व वनभूमि के संबंध में भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार संबंधित प्रपत्र भाग–I से भाग–IV में प्रस्ताव में दर्शित है। मुख्य वन संरक्षक एवं वन मंडलाधिकारी द्वारा की गई अनुशंसा एवं दिनांक निम्नानुसार है:–

क्र.	वन वृत्त / वनमंडल का नाम	स्थल निरीक्षण / अनुशंसा का दिनांक	प्रस्ताव पृ. क्रमांक
1	मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त	22.09.2023	521
2	मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त	17.09.2023	524
3	वन मंडलाधिकारी, धरमजयगढ़ (नोडल)	07.06.2023	516 से 520
4	वन मंडलाधिकारी, कोरबा	20.05.2023	512 से 515
5	वन मंडलाधिकारी, जशपुर	21.08.2023	522 एवं523

बि.क्र. 27. ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 529 से 531) – आवेदनकर्ता, परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग कोरबा द्वारा कोरबा वन मंडल अंतर्गत 77.3041 हे. रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वन मंडल अंतर्गत 90.9718 हे. एवं जशपुर वन मंडल अंतर्गत 0.7471 हे. वन भूमि भारतमाला परियोजना अंतर्गत उरगा–पथलगांव, राष्ट्रीय राजमार्ग 130 निर्माण के लिए वन भूमि व्यपवर्तन हेतु कुल 169.0231 हे. वन भूमि/ नारंगी वन भूमि एवं राजस्व वन भूमि में 10 कि.मी. की परिधि में किसी भी प्रकार का ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह, स्थल एवं मूर्ति नहीं है। तदाशय का वन मंडलाधिकारी, कोरबा, जशपुर एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।

वन मंडलाधिकारी, धरमजयगढ़ वन मंडल के प्रतिवेदन अनुसार उक्त प्रस्तावित मार्ग से 3 कि.मी. की दूरी पर ओंगना ऐतिहासिक शैल चित्र एवं बाकारूमा परिक्षेत्र अंतर्गत हांथादाई ऐतिहासिक शैलचित्र उक्त प्रस्तावित मार्ग से लगभग 10 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।

बि.क्र. 28. संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 532 से 535 तक) – भारत सरकार का राजपत्र दिनांक 28.06.2022 जो वन संरक्षण नियम 2022 से संबंधित है, के नियम 6 (ख) (ii) के प्रावधानों के तहत अंतिम चरण की स्वीकृति के पश्चात संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावेगा। आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 29. जिले की कुल वन भूमि (रकबा वर्ग कि.मी. में) (प्रस्ताव पृष्ठ 536 से 538 तक) – प्रकरण में प्रभावित हो रहे वनमंडल से संबंधित जिलों के कुल वनभूमि का रकबा निम्नानुसार है:–

क्र.	वृत्त / वन मंडल	जिले के वनभूमि का रकबा (वर्ग कि.मी. में)

1	धरमजयगढ़	171341.90
2	कोरबा	213647.00
3	जशपुर	2131.00

बि.क्र. 30. व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 539 से 541 तक) – उक्त अधिनियम के अंतर्गत वनमंडलवार स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वनभूमि का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.	वनमंडल का नाम	प्रकरण संख्या	रकबा (हे. में)
1	धरमजयगढ़	–	419.433
2	कोरबा	11	1099.452
3	जशपुर	11	176.990

बि.क्र. 31. व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 542 से 544 तक) – स्वीकृत प्रकरणों मे इसी श्रेणी के अंतर्गत व्यपवर्तीत वनभूमि के रकबे का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.	वनमंडल का नाम	प्रकरण संख्या	रकबा (हे. में)
1	धरमजयगढ़	–	–
2	कोरबा	–	–
3	जशपुर	1	25.215

बि.क्र. 32. प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह / मूर्ति न होने की जानकारी (प्रस्ताव पृष्ठ 545 से 547 तक) – वन मंडलाधिकारी, धरमजयगढ़ वन मंडल के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार धरमजयगढ़ एवं बाकारूमा परिक्षेत्र आवेदित राष्ट्रीय राजमार्ग के वन भूमि के 2.5 कि.मी. की परिधि में लेमरू हाथी कोरीडोर स्थित है, अंडरपास/ओवरपास हेतु चिन्हित स्थलों पर वर्षभर हाथी, भालू की उपस्थिति और आवागमन रहता है। WII की गाईड लाईन के अनुरूप आवेदक संस्थान द्वारा वन्यप्राणी प्रबंधन योजना तैयार किया गया है।

बि.क्र. 33. 15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन (प्रस्ताव पृष्ठ 548 से 550 तक) – खनन का प्रकरण नहीं होने के कारण आवश्यकता नहीं है। पत्रक संलग्न है।

बि.क्र. 34. वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 551 से 554 तक) – भारत सरकार का राजपत्र दिनांक 28.06.2022 जो वन संरक्षण नियम 2022 से संबंधित है, के नियम 6 (ख) (ii) के प्रावधानों के तहत अंतिम चरण की स्वीकृति के पश्चात संबंधित कलेक्टर का प्रमाण पत्र एवं ग्राम सभा का ठहराव प्रस्ताव संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावेगा। आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 35. राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 555 से 560 तक) – प्रकरण में वनमंडलवार प्रभावित हो रही राजस्व वनभूमि का विवरण निम्नानुसार है इस हेतु कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र वनमंडलवार प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

क्र.	जिले का का नाम	जिले के वन भूमि का रकबा (हे. में)	अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का दिनांक
1	रायगढ़	25.9894	06.03.2023
2	कोरबा	8.1990	19.06.2023
3	जशपुर	जशपुर वन मंडल अतर्गत राजस्व वन भूमि प्रभावित नहीं हो रही है।	
योग –		**34.1884**	

बि.क्र. 36. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 561 से 563 तक) – यूजर एजेंसी द्वारा प्रत्याशा मूल्य की राशि जमा करने का वचन पत्र दिया गया है, जो प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 37. **Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd stage clearance** (प्रस्ताव पृष्ठ 564 से 566 तक) – यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 38. **A detailed note on Soil Productivity or the lack of it** (प्रस्ताव पृष्ठ 567 से 569 तक) – Soil Productivity Report संलग्न है।

बि.क्र. 39. परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 570 से 572 तक) – वन भूमि में किसी प्रकार का कार्य नहीं किया गया है। इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है ।

बि.क्र. 40. **Diversion of large area (more then 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980** (प्रस्ताव पृष्ठ 573 से 575 तक) – आवेदित वनभूमि में प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का अन्य कार्य यथा निर्माण कार्य/व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित नहीं किया जावेगा। आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 41. पंजीयन क्रमांक – पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 576 से 578 तक) – जानकारी बिन्दु क्रमांक–3 में दर्शाया गया है।

बि.क्र. 42. वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत (प्रस्ताव पृष्ठ 579 से 581 तक) वन्यप्राणी प्रबंधन योजना तैयार कर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), छत्तीसगढ़, रायपुर को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जा चुकी है, जो प्रथम चरण स्वीकृति उपरांत पालन प्रतिवेदन प्रेषित करते समय प्रस्तुत किया जावेगा।

बि.क्र. 43. विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 582 से 584 तक)– प्रस्ताव विद्युत लाईन से संबंधित नहीं है। अतः आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 44. प्रस्ताव मे अन्य (Misc) कमियों का विवरण विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 585 से 749 तक) – प्रस्ताव में संलग्न है।

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमों/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर मुख्य वन संरक्षक सरगुजा एवं बिलासपुर वृत्त द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर वृत्त एवं सरगुजा वृत्त के उक्त अनुशंसा के आधार पर प्रस्ताव से सहमत होते हुए, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ एवं वन बल प्रमुख के अनुशंसा निर्धारित प्रपत्र भाग–4 सहित वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति के लिये प्रस्ताव 2 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः–
1. प्रस्ताव 2 प्रतियों में
2. डी.जी.पी.एस. सर्वे रिर्पोट 2 प्रतियों में
3. टाईम लाईन
4. प्र.मु.व. संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित भाग–4

(वन बल प्रमुख द्वारा अनुमोदित)

अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115–899/ 2436 दिनांक 17/10/2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

— **मुख्य वन संरक्षक,** बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

— **मुख्य वन संरक्षक,** सरगुजा वृत्त, सरगुजा, छत्तीसगढ़।

— **वनमंडलाधिकारी,** कोरबा, वनमंडल, कोरबा, छत्तीसगढ़।

— **वनमंडलाधिकारी,** धरमजयगढ़, वनमंडल, धरमजयगढ़, छत्तीसगढ़।

— **वनमंडलाधिकारी,** जशपुर, वन मंडल, जशपुर, छत्तीसगढ़।

— **परियोजना निदेशक,** भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग–130 जिला कोरबा, कोरबा।

अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़